अपील

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है । हम केंद्र सरकार के उद्यम रहने से राजभाषा अधिनियम और नियम कोई भी छूट के बिना एक-एक अनुसचिवीय कर्मचारी और अधिकारी पर लागू होते हैं। साथ-साथ राजभाषा संबंधी नियमों के अनुपालन करने की जिम्मेदारी राजभाषा नियम, 1976 के उप नियम 12 के अनुसार कार्यालय प्रधान पर निहित है। अतः मैं व्यक्तिगत रूप से, हमारी कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोन्नमन और प्रचार करने के लिए आप सब के सहयोग की कामना करता हूँ।

राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोन्नमन पर पूर्व ज्ञान रखते हुए भारत सरकार की तरफ से बहुत से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं । आज कंप्यूटीकरण का युग है। इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हिंदी और अंग्रेज़ी में शासकीय कार्य करना अनिवार्य है। गूगल वॉइस टाइपिंग एक अभिनव कदम है, जिसके ज़रिए टाईपिंग करने के बिना हिंदी और अंग्रेज़ी में टाइप हो जाता है। हमारी कंपनी में भी इस पर ज़ोर देना चाहिए । इसके अतिरिक्त हिंदी पारंगत प्रशिक्षण अभी शुरू किया है । इसका प्रशिक्षण पूरा करते ही सभी कर्मचारी अपना कार्य हिंदी में करने के लिए सक्षम बन जाएगा । इस पाठ्यक्रम भी कंपनी में जल्दी ही शुरू करेंगे ।

अब, हमारी कंपनी में 7 नवंबर, 2016 से हिंदी पखवाड़ा समारोह मनाते हैं । इसका उद्देश्य ही कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में राजभाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रचार-प्रसार करना है। हम इस सिलसिले में बहुत- से प्रतियोगिताएं, प्रशिक्षण आदि आयोजित किये जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हिंदी पखवाड़ा समारोह के सिलसिले में आयोजित सभी कार्यक्रमों में प्रतिबद्धता और दिलचस्पी के साथ भाग लें ।

हिंदी पखवाडा समारोह इस अवसर पर मेरी कामना है, आप सब अपना अधिकतम कार्यालयीन काम हिंदी में करके अपने राष्ट्रीयता से जुडे सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करें ।

सब को हिंदी पखवाड़ा के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

आर.पी.खण्डेलवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक